राजकीय कन्या महाविद्यालय,बाराँ

Email – admissionggcb@gmail.com girlscollegebaran@yahoo.com Ph:- 07453-230279

विवरणिका

सत्र 2023—24

प्राचार्य एवं संरक्षक :— श्री संजय कुमार मेहता

संपादक एवं संयोजक :— डॉ. कविता शर्मा

सुश्री प्रियांशी जेलिया

श्री अजय कुमार मीना

डॉ. सरिता शर्मा

महाविद्यालय–परिचय

राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जिला मुख्यालय बाराँ में स्थित यह महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में जिले का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है। लगभग 27 बीघा क्षेत्र में फैले इस महाविद्यालय के दक्षिण में धर्मादा रोड, पश्चिम में राजकीय हॉस्पिटल, पूर्व में ईदगाह एवं उत्तर में हनुमान मन्दिर है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला यह महिला शिक्षा का केन्द्र है, जो चहुँमुखी विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। सन् 1995 में यह महाविद्यालय चारमूर्ति चौराहे के पास पुराने ट्रेजरी भवन में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान कॉलेज के नूतन भवन का निर्माण 1995 में प्रारंभ हुआ तथा सितंबर 1998 में इसका उद्घाटन हुआ। फरवरी 1999 में यह पुराने भवन से नवीन भवन में स्थानांतरित हो गया।

इस प्रशस्त भूखंड में महाविद्यालय भवन के अतिरिक्त लगभग 54 छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा युक्त एक छात्रावास भी है। सन् 2002 में यह महाविद्यालय यू.जी.सी. से 2 एफ व 12 बी के अन्तर्गत सम्बद्ध हो गया और यहाँ विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सन् 1995 में यहाँ स्नातक स्तर पर कला संकाय में चार विषय (हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र व गृहविज्ञान) प्रारंभ किये गये। सत्र 2002–2003 से यहाँ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी–साहित्य के शिक्षण का प्रारंभ हुआ। सत्र 2004–05 में यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत हो गया तथा यहाँ हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र,गृह विज्ञान में एम. ए. की कक्षाएँ प्रारम्भ हुईं। सत्र 2022–2023 से यहाँ स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र के विषय का प्रारंभ हुआ। महिला–शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा सत्र 2009–10 में यहाँ विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी, जिसके फलस्वरुप सत्र 2010–11 से यहाँ विज्ञान संकाय का शुभारंभ हुआ।

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 12000 पुस्तकें हैं एवं विज्ञान संकाय हेतु प्रयोगशालाएँ सम्पूर्ण उपकरणों से सुसज्जित हैं। खेल–मैदानों एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिये महाविद्यालय द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है एवं भावी विकास हेतु उपलब्ध स्थान के आधार पर विवेकपूर्ण नियोजन किया गया है। शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा योजना, महिला अध्ययन केन्द्र आदि योजनाएँ छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में संचालित हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान **(RUSA)** से प्राप्त अनुदान राशि से महाविद्यालय में कम्प्यूटर सेन्टर एवं कक्षा कक्ष का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

इस महाविद्यालय की छवि लोक मानस में एक अनुशासित एवं शांत शिक्षण संस्था के रूप में है। समय–समय पर स्थानीय भामाशाहों तथा गणमान्य नागरिकों से आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। परिसर–विकास में संभ्रान्त शुभचिंतकों का समर्थन हमेशा प्राप्त हुआ है। अभिभावकों की इस संस्था के प्रति हमेशा सदाशयता एवं सद्भावना रही है। अतः, इन सभी के प्रति यह महाविद्यालय परिवार आभारी है ।

श्री संजय कुमार मेहता
प्राचार्य,
राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाराँ

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

यह महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध है। यहाँ विज्ञान–संकाय में स्नातक एवं कला–संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में शिक्षण सुविधा उपलब्ध है :–

कला संकाय :–

बी.ए. पार्ट प्रथम अनिवार्य विषय

1. सामान्य हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. प्रा.कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4. पर्यावरण–अध्ययन

ऐच्छिक विषय

1. हिन्दी–साहित्य
2. अंग्रेजी–साहित्य
3. संस्कृत–साहित्य
4. राजनीति विज्ञान
5. गृह विज्ञान
6. उर्दू
7. इतिहास
8. भुगोल
9. समाज शास्त्र

विज्ञान संकाय –

बी.एससी.पार्ट प्रथम अनिवार्य विषय –

1. सामान्य हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. प्रा.कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4. पर्यावरण–अध्ययन

ऐच्छिक विषय

गणित वर्ग :–

1. गणित
2. भौतिक शास्त्र
3. रसायन शास्त्र

जीव विज्ञान वर्ग :–

1. प्राणिशास्त्र
2. वनस्पतिशास्त्र
3. रसायनशास्त्र

स्नातकोत्तर स्तर के विषय –

1. हिन्दी–साहित्य
2. संस्कृत–साहित्य
3. राजनीतिशास्त्र
4. गृह विज्ञान

नोट :–

1. छात्राएँ एक साथ तीन साहित्य नहीं ले सकती हैं। कोई भी दो साहित्य एक साथ लिये जा सकते हैं ।

2. ऐच्छिक विषयों में स्थान समिति हैं। हिंदी–साहित्य और राजनीति विज्ञान में तीन वर्ग, गृह विज्ञान में 2 वर्ग एवं संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू में एक वर्ग में छात्राओं को प्रवेश दिये जायेंगे।

3. स्नातकोत्तर गृह विज्ञान में बी.ए./बी.एससी., गृह विज्ञान की छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा ।

4. किसी भी प्रवेशार्थी को वरीयता के आधार पर ही विषय आबंटित होगा । अतः वरीयतानुसार प्रवेश आवेदन पत्र में सारे विषय भरें ।

बी.ए.पार्ट द्वितीय व तृतीय – उपर्युक्तानुसार ऐच्छिक विषय जो छात्रा ने बी.ए. प्रथम वर्ष में लिये हैं ।

बी.एससी. पार्ट द्वितीय व तृतीय – उपर्युक्तानुसार ऐच्छिक विषय जो बी.एससी. पार्ट प्रथम में लिये हैं।

विशेष – प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रवेशनीति 2023–24 के सभी प्रावधान लागू होगे।

विशेष : उपर्युक्त कक्षाओं में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पाठ्यक्रम एवं नियम लागू होंगे।

सुविधाएँ एवं गतिविधियाँ :–

1. छात्रावास :– महाविद्यालय–परिसर में लगभग 54 छात्राओं की आवासीय सुविधा के लिये छात्रावास है। छात्रावास की व्यवस्थाएँ स्ववित्तपोषी हैं। छात्रावास में प्रवेश की इच्छुक छात्राएँ प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राप्त छात्रावास आवेदन पत्र भी भरें ।

छात्रावास–शुल्क

प्रवेश फार्म शुल्क	5 रु.
कॉशन मनी	100 रु.
महाविद्यालय शुल्क	100 रु.
स्थापना शुल्क	3500 रू. वार्षिक
विद्युत शुल्क	मीटर चार्ज के अनुसार, एडवांस 1000 रू.

2. रेल तथा बस कन्सेशन :– रेल तथा बस कन्सेशन विद्यार्थियों को निम्नांकित स्थितियों में ही देय होगा

1. दीपावली, दशहरा, शीतकालीन एवं ग्री मकालीन अवकाश में घर (प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित स्थाई निवास) जाने तथा वहाँ से शिक्षण संस्था तक लौटने हेतु।
2. शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित शैक्षणिक भ्रमण हेतु ।
3. टूर्नामेंट, कैम्प, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों अथवा प्रतियोगिताओं में अधिकृत रूप से भाग लेने हेतु ।
4. जो विद्यार्थी बस द्वारा प्रतिदिन शिक्षण संस्था से अपने निवास की यात्रा करते हैं एवं जिनका मूल निवास कॉलेज से 50 किमी की परिधि में है, ऐसी छात्राओं को निगम के नियमानुसार यह सुविधा मिल सकेगी ।

3. पुस्तकालय :– महाविद्यालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 12000 छात्रोपयोगी पुस्तकें हैं । विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पुस्तकालय का पूरा लाभ उठायें, पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय की भी व्यवस्था है, जिसमें दैनिक ,साप्ताहिक व त्रैमासिक पत्र–पत्रिकाएँ आती हैं ।

सामान्य नियम :

1. पुस्तकालय के कार्य दिवस सामान्यतः महाविद्यालय के समयानुसार ही रहते हैं ।
2. पुस्तकालय में वार्तालाप वर्जित है । कृपया शान्त रहकर अध्ययन करें ।
3. पुस्तकों व पत्रिकाओं को असावधानी पूर्वक प्रयोग करना, पृष्ठ फाड़ना, जिल्द फाड़ना, पत्रिकाओं , पुस्तिकाओं पर स्याही से निशान लगाना, स्वयं का नाम पुस्तकों पर लिख देना न केवल वर्जित है बल्कि दण्डनीय भी है ।
4. थैला, छाता स्वयं की पुस्तकें आदि पुस्तकालय के बाहर अपने ही उत्तरदायित्व पर सँभाल कर रखें ।
5. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने हेतु फीस की रसीद व परिचय पत्र आवश्यक हैं ।
6. परिचय पत्र सदैव साथ लायें, मॉगे जाने पर दिखाना आवश्यक है ।
7. पुस्तकालय स्टॉफ द्वारा संदेह होने पर कभी भी तलाशी ली जा सकती है ।
8. पुस्तकें सामान्यतः 14 दिवस हेतु निर्गमित की जाती हैं ।
9. पत्रिकाएँ, संदर्भ ग्रंथ, कोषग्रंथ एवं शोध पुस्तकें निर्गमित नहीं की जाती हैं ।
10. छात्रायें पुस्तकें निर्गमित कराने से पूर्व पुस्तक को भली–भाँति देख लें कि पुस्तक से पृष्ठ गायब तो नहीं है या फटी अवस्था में तो नहीं है ।

11. छात्रायें अपने कार्डों पर निर्गमित हुई पुस्तकें के लिये पूर्णतया जिम्मेदार होगी चाहे पुस्तकें उन्होंने स्वयं निर्गमित कराई हो या नहीं ।

12. महाविद्यालय छोड़ने से पूर्व या अदेय प्रमाण पत्र लेने के पूर्व पुस्तकें जमा कराना अनिवार्य होगा ।

13. कार्डों के खोने पर अविलम्ब पुस्तकालय अध्यक्ष को लिखित सूचना दें । लिखित सूचना देने के बावजूद भी कोई पुस्तक निर्गमित हो जाती है तो भी स्वयं कार्डधारक ही उत्तरदायी होगा ।

14. पत्रक खो जाने पर 10/– रू. प्रति कार्ड दण्ड देय होगा ।

15. परीक्षा हेतु पाठ्य पुस्तकें दुगुनी अमानत राशि पर देय होगी ।

4. विद्यार्थी परामर्श केन्द्र :– यह केन्द्र छात्रों को शैक्षणिक उन्नयन से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु परामर्श तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों/ व्यावसायिक संस्थाओं में उपलब्ध उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश, छात्रवृति/फैलोशिप की सुविधा के लिये आवेदन करने आदि की जानकारी उपलब्ध करायेगा। इस केन्द्र के प्रभारी नियुक्त प्राध्यापक होंगे।

5. छात्रा संघ :– राज्य सरकार व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के निर्देशानुसार छात्रासंघ का गठन किया जाता है। ।

6.खेलकूद :– महाविद्यालय परिसर समय समय पर विभिन्न प्रकार की खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है

7. महिला प्रकोष्ठ :– छात्राओं में पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास करने के उद्देश्य से महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । प्रकोष्ठ के द्वारा विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य तथा विविध प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है।

8. राष्ट्रीय सेवा योजना :– महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की दो इकाइयाँ संचालित है। इनके द्वारा वर्ष पर्यन्त सामाजिक, सांस्कृतिक, ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी कार्यक्रम व प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। सूचना पट्ट पर यथासमय लगाये जाने वाले निर्देशों के अनुसार प्रभारी व्याख्याता से संपर्क करके छात्राएँ इसमें भाग ले सकती हैं ।

9. छात्रवृत्ति :– महाविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं को राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य छात्रवृत्तियों की सुविधा नियमानुसार देय होती है। ।

आवश्यक नियम

1. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C.) :–

1. टी.सी.प्राप्त करने वाली छात्राओं को निर्धारित शुल्क सहित अपना आवेदन पत्र कम से कम दो दिवस पूर्व कॉलेज–कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

2. इसके लिए कॉलेज के विभिन्न विभागों का 'नो–ड्यूज' प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा ।

3. टी.सी. खो जाने पर मजिस्ट्रेट अथवा नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित 'शपथ–पत्र' (एफिडेविट) प्रस्तुत करने पर दूसरी टी.सी. शुल्क जमा करवाने पर जारी किया जायेगा ।

2. परिचय पत्र (आइडेण्टिटी कार्ड) :–

1. प्रत्येक छात्र के लिए महाविद्यालय का परिचय पत्र यथाविधि प्रमाणित करवाकर अपने पास रखना अनिवार्य होगा ।

2. परिचय पत्र में अंकित पता बदलने की स्थिति में उसकी सूचना तुरन्त ही कॉलेज के संबंधित अधिकारी को लिखित में दें।

3. परिचय पत्र को सदा अपने पास रखें तथा माँगे जाने पर दिखलाएँ ।

4. परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में शपथ पत्र पर घोषणा व बीस रुपये देकर ही पुनः दूसरा परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

3. उपस्थिति सम्बन्धी नियम :–

1. कुलपति समन्वय समिति, राज्य सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय (थ्योरी व प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

2. यह स्वयं छात्रा का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह की अपनी उपस्थिति की जानकारी सम्बन्धित प्राध्यापक से करती रहें ।

3. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाली छात्राओं को नियमित के स्थान पर स्वयंपाठी के रुप में परीक्षा देनी होगी तथा उसके लिए अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी जमा कराना होगा ।

4. उपस्थिति संबंधी नियम विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित होते हैं तथा वे ही मान्य होंगे ।

उपस्थिति में छूट :–

क. सत्र में बीमार छात्रा को चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार ही छूट दी जा सकेगी ।

ख. टूर्नामेन्ट अथवा किसी प्रतियोगिता में अधिकृत रुप में भाग लेने वाले छात्रों को उपस्थिति में केवल उतने ही दिनों की छूट मिलेगी ।

4. खेलकूद सम्बन्धी नियम :

इसमें क्रीड़ा समिति की अनुशंसाएँ एवं नियम लागू होगें ।

5. रैगिंग :–

कॉलेज परिसर में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है । ऐसा करने वाली छात्राओं के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी ।

6. अनुशासनात्मक कार्यवाही :

कॉलेज की प्रत्येक छात्रा से अनुशासन में रहने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार, दुराचरण, अध्ययन के प्रति उपेक्षा, महाविद्यालय परिसर में धरना देना, नारे लगाना, अवांछनीय तत्त्वों को लाना एवं अन्य कोई भी अपराध, जिनसे कॉलेज की प्रतिष्ठा को हानि हो, दण्डनीय अपराध होगा। अपराध की प्रवृत्ति एवं गंभीरता के अनुसार प्राचार्य को विश्वविद्यालय की धारा 088 के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है ।

7. आचरण सम्बन्धी नियम :

1. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के गठन हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।

2. किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है ।

3. कक्षाओं के भीतर तथा बाहर पूर्णतः शान्ति रखें तथा घण्टी बजने के उपरान्त एक कमरे से दूसरे कमरे में आते–जाते शोर न करें ।

4. कॉलेज को साफ–सुथरा रखें । ब्लैक बोर्ड या दीवारों पर कुछ भी न लिखें ।

5. कुर्सियों को कमरे से बाहर न निकालें और न ही कक्षाओं में उनकी व्यवस्था बिगाड़ें ।

6. कक्षा के बीच से किसी भी छात्रा को न बुलावें । आवश्यक होने पर प्राचार्य से सम्पर्क करें ।

7. पूर्व छात्रा (Ex-Student) प्राचार्य की लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठ सकती है ।

8. चरित्र प्रमाण–पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है ।

9. महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय की नियमित छात्राएँ ही भाग ले सकती हैं ।

10. विद्यार्थी महाविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रति शालीन व्यवहार करें।

11. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभा समारोह, प्रतियोगिताएँ तथा अन्य प्रवृत्तियों में शिष्टाचार, विनम्रता एवं सद्व्यवहार अपेक्षित है

12.छात्राएँ महाविद्यालय से सम्बन्धित कार्यों जैसे प्रवेश,टी.सी. प्राप्ति हेतु स्वयं उपस्थित हों, अपने भाइयों को या अन्य किसी व्यक्ति को यथासंभव न भेजें ।

महाविद्यालय—परिवार

प्राचार्य	:		रिक्त
उपाचार्य	:		रिक्त

विज्ञान संकाय

प्राणि शास्त्र	:	1	श्री संजय कुमार मेहता (कार्यवाहक प्राचार्य)
भौतिक शास्त्र	:	1	श्री अजय कुमार मीना
वनस्पति शास्त्र		1	सुश्री आरती गुर्जर (प्रतिनियुक्ति पर अन्य महाविद्यालय में)
गणित	:	1	डॉ. कविता शर्मा
रसायन शास्त्र	:	1	सुश्री प्रियांशी जेलिया

कला संकाय

हिंदी –विभाग		1.	डॉ. भावना शर्मा
राजनीति शास्त्र		1.	डॉ. अर्पणा शर्मा
गृह विज्ञान	:	1.	डॉ. सरिता शर्मा
अंग्रेजी	:	1.	श्रीमती शिखा शर्मा
संस्कृत	:	1. .	डॉ. मधु शर्मा
उर्दू		1	रिक्त

प्रवेश–समिति 2023–24

संयोजक (स्नातक कला)	श्री संजय कुमार मेहता
संयोजक (विज्ञान)	श्री संजय कुमार मेहता
संयोजक (स्नातकोत्तर कला)	श्री संजय कुमार मेहता
नोडल अधिकारी संयोजक (स्नातक)	सुश्री प्रियांशी जेलिया
नोडल अधिकारी संयोजक (स्नातकोत्तर)	डॉ. कविता शर्मा